ध्येय IAS
most trusted since 2003
DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims
29 November 2024

केरल में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र

सन्दर्भ: हाल ही में केरल सरकार ने केंद्र सरकार को एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें 8,590.69 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

- यह प्रस्ताव मई 2024 में प्रस्तुत प्रारंभिक प्रस्ताव की तुलना में 121 वर्ग किमी छोटा है। संशोधित प्रस्ताव में केरल के 12 जिलों, 29 तालुकाओं के 98 गांव शामिल हैं।
- यह संशोधन स्थानीय स्वशासन विभाग से प्राप्त सुझावों पर आधारित है, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और पारिस्थितिकी संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- यह प्रस्ताव 2 नवंबर, 2024 को प्रस्तुत किया गया।

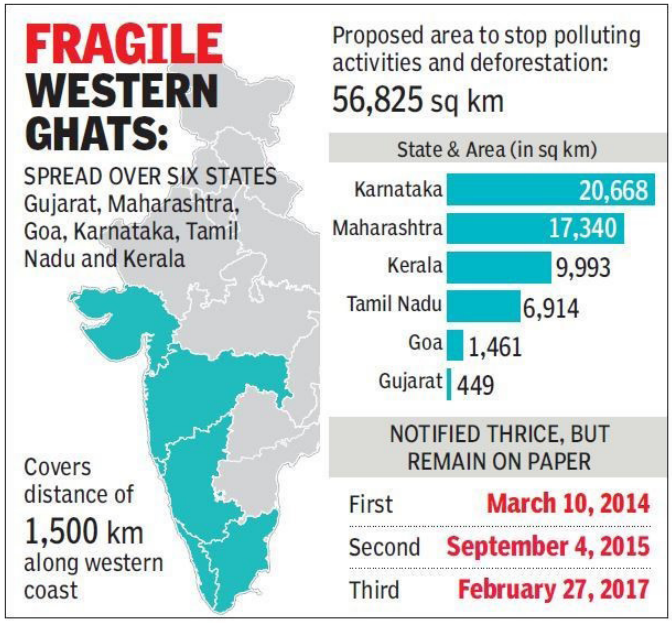

केंद्र की ईएसए अधिसूचना:

- केंद्र सरकार की जुलाई 2024 की मसौदा अधिसूचना में पश्चिमी घाट के 56,825 वर्ग किमी क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं।
- इन क्षेत्रों में खनन, उत्खनन, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना जैसी गतिविधियाँ प्रतिबंधित हैं। राज्यों को आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।

ईएसए क्या हैं?

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा उनके पारिस्थितिक महत्व के लिए अधिसूचित किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों से 10 किमी के भीतर स्थित होते हैं।
- ये क्षेत्र 'शॉक एब्जॉर्बर' की तरह कार्य करते हैं, जिससे विकास से होने वाली पारिस्थितिक क्षति को न्यूनतम किया जा सके।
- पारिस्थितिक गलियारों को ध्यान में रखते हुए ईएसए की सीमाएं अक्सर 10 किलोमीटर से अधिक होती हैं। इन क्षेत्रों का उद्देश्य मानवीय प्रभाव को कम करना, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और अत्यधिक संरक्षित और कम विनियमित क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करना है।

पश्चिमी घाट और ईएसए पदनाम:

- पश्चिमी घाट, जैव विविधता के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, लंबे समय से पारिस्थितिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इसके संरक्षण प्रयास विभिन्न समितियों की सिफारिशों के तहत संचालित हुए हैं।
  - » **डब्ल्यूजीईईपी रिपोर्ट (2011):** माधव गाडगिल की अध्यक्षता में गठित पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) ने पश्चिमी घाट की संवेदनशीलता पर बल दिया और इसे तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए सतत विकास की सिफारिश की।
  - » **कस्तूरीरंगन समिति (2013):** समिति ने 59,940 वर्ग किमी क्षेत्र को ईएसए घोषित करने का सुझाव दिया और खनन व अन्य उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की।

आशय:

- केरल का ईएसए प्रस्ताव सामुदायिक चिंताओं को संबोधित करते हुए अपनी जैव विविधता की रक्षा करने के प्रयासों को दर्शाता है। पश्चिमी घाटों के लिए, ईएसए पदनाम आवास संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के शमन को सुनिश्चित करता है।
- हालाँकि, चुनौतियों में विकास के साथ संरक्षण को संतुलित करना, सामुदायिक आवश्यकताओं को संबोधित करना और ईएसए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना शामिल है।
- ईएसए के प्रति केरल की प्रतिबद्धता पारिस्थितिक संपदा संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक समानता को संतुलित करते हुए सतत शासन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DAILY prePARE
Current affairs summary for prelims

29 November 2024

पेन्नैयार नदी जल बंटवारा विवाद

सन्दर्भ: हाल ही में 26 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी के जल बंटवारे से जुड़े विवाद में वार्ता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करे। यह विवाद भारतीय राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर उत्पन्न चुनौतियों को रेखांकित करता है।

पेन्नैयार नदी:

- पेन्नैयार नदी (पोन्नैयार) दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जोकि कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- यह नदी नंदीहिल्स से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- नदी विशेष रूप से तमिलनाडु में चेन्नई, वेल्लोर और कुड्डालोर जिलों के लिए सिंचाई, पेयजल और कृषि का प्रमुख स्रोत है।

कानूनी विवाद:

- विवाद की शुरुआत 2018 में हुई, जब तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कर्नाटक पर चेक डैम और डायवर्जन संरचनाओं के निर्माण का आरोप लगाया।
- तमिलनाडु ने तर्क दिया कि इन परियोजनाओं से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, विशेषकर सूखे के समय।

तमिलनाडु का तर्क:

- राज्य ने जल बंटवारे के संबंध में मैसूर (अब कर्नाटक) और मद्रास (अब तमिलनाडु) रियासतों के बीच 1892 में हुए समझौते का हवाला दिया।
- तमिलनाडु ने तर्क दिया कि यह समझौता अभी भी वैध है और दोनों राज्यों पर बाध्यकारी है।

कर्नाटक का तर्क:

- कर्नाटक ने 1892 के समझौते की आधुनिक प्रासंगिकता पर सवाल उठाया।
- उसने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जल संसाधनों के डायवर्जन और विकास का अधिकार जताया।

1892 के समझौते के प्रमुख बिंदु:

- **पूर्व सहमति अनिवार्यता:** एनीकट (अवरोध बांध) बनाने से पहले मैसूर (अब कर्नाटक) को मद्रास (अब तमिलनाडु) सरकार से पूर्व सहमति लेनी होगी।
- **पूर्ण जानकारी की उपलब्धता:** मैसूर सरकार को प्रस्तावित कार्य से संबंधित सभी विवरण मद्रास सरकार को प्रदान करने होंगे।
- **निर्देशात्मक अधिकारों का संरक्षण:** मद्रास सरकार केवल मौजूदा जल अधिकारों की रक्षा के लिए ही सहमति देने से इनकार कर सकती है।
- **लागू क्षेत्र:** यह समझौता एनीकट सहित नदियों पर किए जाने वाले नए सिंचाई कार्यों पर लागू होता है।

मध्यस्थता प्रयास और केंद्र सरकार की भूमिका:

- विवाद के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच वार्ता की सुविधा प्रदान की।
- जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधि नियम, 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार को एक वार्ता समिति गठित करने का निर्देश दिया।
- इस समिति को दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करके विवाद का समाधान खोजने का कार्य सौंपा गया है।
- अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वार्ता समिति की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

भारत की राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण पहल

सन्दर्भ: हाल ही में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण आवंटन को मंजूरी दी है। इस निधि का उद्देश्य आपदाओं के सामने तैयारी और लचीलापन बढ़ाना है। आपदा से संबंधित निधि और परियोजनाएं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शासित होती हैं।

स्वीकृत परियोजनाएं:

- **राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना:**
  - **वित्तपोषण:** 1000 करोड़ रुपये
  - **कवरेज:** इस परियोजना से 15 राज्यों को लाभ होगा, जिनमें

Face to Face Centres
DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029
dhyeyaias.com

अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

» **उद्देश्य:** इस परियोजना का उद्देश्य भूस्खलन के जोखिम को कम करना है, विशेषकर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में भूस्खलन एक बड़ा खतरा है, जिससे अक्सर बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है और जानमाल का नुकसान होता है। इस परियोजना का उद्देश्य इन जोखिमों को कम करना और इन क्षेत्रों की लचीलापन में सुधार करना है।

- **सुरक्षा स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:**
  - » **वित्तपोषण:** 115.67 करोड़ रुपये
  - » **उद्देश्य:** यह पहल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करके आपदा तैयारियों को बढ़ाने पर केंद्रित है । इन प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को आपदाओं का प्रभावी ढंग से जवाब देने, जीवन बचाने और अपने समुदायों में नुकसान को कम करने के लिए सुसज्जित किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के बारे में:

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (डीएम अधिनियम) भारत को आपदा प्रबंधन के लिए एक कानूनी और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:
  - » **आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** आपदा नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) का गठन।
  - » **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ):** खोज एवं बचाव तथा चिकित्सा सहायता सहित तत्काल आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल।
  - » **आपदा न्यूनीकरण योजनाएँ:** राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण और पुनर्प्राप्ति योजनाओं को अनिवार्य बनाती हैं।
  - » **आपदा प्रबंधन निधि:** आपदा राहत और शमन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) की स्थापना की जाती है।
  - » **क्षमता निर्माण:** आपदा प्रतिक्रिया के लिए सरकारी अधिकारियों, समुदायों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
  - » **पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ:** बाढ़ और चक्रवात जैसी आसन्न प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए प्रणालियों के विकास की आवश्यकता होती है।

शुक्र मिशन 'शुक्रयान'

सन्दर्भ: भारत सरकार ने शुक्रयान, भारत के महत्वाकांक्षी वेनस ऑर्बिटर मिशन (VOM) को मंजूरी दी है, जो मार्च 2028 में लॉन्च होने के लिए निर्धारित है। यह ऐतिहासिक मिशन भारत के वेनस अन्वेषण में प्रवेश को चिह्नित करेगा और ग्रह के अत्यधिक पर्यावरणीय स्थितियों का अध्ययन करेगा।

मिशन के उद्देश्य:

- शुक्रयान मिशन का उद्देश्य 'पृथ्वी के बहन ग्रह' कहे जाने वाले वेनस के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है, इसके लिए तीन प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:
  - » **वेनस के वायुमंडल का अध्ययन:** यह मिशन वेनस के घने वायुमंडल, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, की संरचना, तापमान और दबाव का अध्ययन करेगा। इससे ग्रह के अत्यधिक ग्रीनहाउस प्रभाव को समझने में मदद मिलेगी।
  - » **वेनस की सतह का अन्वेषण:** उन्नत रडार और इमेजिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए, अंतरिक्ष यान वेनस की टोपोग्राफी, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और खनिज संरचना का मानचित्रण करेगा, जो घने बादल आवरण के कारण होने वाली चुनौतियों को पार करेगा।
  - » **वेनस-सूर्य इंटरएक्शन का विश्लेषण:** शुक्रयान यह अध्ययन करेगा कि सौर पवन वेनस के चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे इंटरएक्ट करता है और सूर्य का वेनस के आयनमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे वेनस के चुंबकीय वातावरण की बेहतर समझ में योगदान मिलेगा।

पेलोड और प्रौद्योगिकी:

- यह अंतरिक्ष यान 16 भारतीय-निर्मित पेलोड और तीन अंतरराष्ट्रीय

पेलोड लेकर जाएगा। प्रमुख उपकरणों में शामिल हैं:

- **वेनस सर्फेस एमिसिविटी और एटमॉस्फेरिक मैपर (VSEAM):** सतह और वायुमंडल का मानचित्रण करने के लिए एक हाइपरस्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोमीटर।
- **वेनस आयनोस्फेरिक और सोलर विंड पार्टिकल अनालाइजर (VISWAS):** आयनमंडल और सौर पवन के इंटरएक्शन का अध्ययन करने वाला एक प्लाज्मा विश्लेषक।
- **वेनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर्स (VIRAL):** वायुमंडल की संरचना और तापमान का विश्लेषण करने वाला एक स्पेक्ट्रोमीटर।

लॉन्च और बजट:

- शुक्रयान मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा तैयार किए गए स्टड-3 (GSLV Mk III) रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। अंतरिक्ष यान वेनस के चारों ओर कक्षा में स्थापित होगा, जहां यह अपने मिशन के दौरान कई वैज्ञानिक प्रयोग करेगा।
- मिशन की अनुमानित लागत लगभग 1236 करोड़ रूपये है, जो परियोजना के पैमाने और जटिलता को दर्शाता है।

ISRO की अन्य महत्वाकांक्षाएँ

- **चंद्रयान 4:**
  - चंद्रयान 3 का फॉलो-अप।
  - जापान के साथ सहयोग।
  - चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का लक्ष्य, पानी की बर्फ का अध्ययन।
  - 350 किलोग्राम का रोवर, जो पिछले रोवर से 12 गुना बड़ा है।
- **गगनयान मिशन:**
  - भारत का पहला मानवयुक्त मिशन
  - दो वर्षों में लॉन्च होने की उम्मीद, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **भारत का अंतरिक्ष स्टेशन:**
  - पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा।
  - ISS से छोटा, पांच मॉड्यूल वाला।
  - 2035 तक पूरी तरह से संचालन में आएगा।

पॉवर पैक्ड न्यूज

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन तकनीक

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन (एसएचकेटी) तकनीक को अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अभिनव और लागत प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी है।

सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन तकनीक के बारे में:

- सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन तकनीक बिना बांध या बैराज की आवश्यकता के बहते पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करती है जो 2-3 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान करती है।
- एसएचकेटी तकनीक सीमित ग्रिड पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है, जो बेस-लोड, चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा प्रदान करती है।
- नहरों और हाइड्रोपावर टेलरेस चैनलों जैसे मौजूदा जल अवसंरचना के साथ एकीकृत करने की इसकी क्षमता इसे भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता को गीगावाट स्तर तक बढ़ाने के लिए एक स्केलेबल समाधान के रूप में स्थापित करती है।
- आर्थिक रूप से, एसएचकेटी कम स्थापना लागत प्रस्तुत करता है, जो इसे अक्षय ऊर्जा खरीदारों और जनरेटर के लिए आकर्षक बनाता है। पर्यावरण की दृष्टि से, यह बड़े पैमाने पर नागरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को समाप्त करके पारिस्थितिक व्यवधान को कम करता है।
- यह पारंपरिक जलविद्युत का एक स्थायी विकल्प प्रदान करके शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है।

सेना को मिले सबल-20 ड्रोन

- भारतीय सेना को एंड्योरएयर सिस्टम्स से सबल-20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन मिले हैं, जिन्हें पूर्वी क्षेत्र में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है।

- एंड्योरएयर द्वारा विकसित ये इलेक्ट्रिक मानवरहित हेलीकॉप्टर जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT-K), कानपुर में इनक्यूबेट किए गए हैं - में वेरिएबल पिच तकनीक है और ये 20 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकते हैं।
- ड्रोन लंबी दूरी की डिलीवरी और उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए अनुकूलित हैं, जिनमें उन्नत वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (VTOL) तकनीक है, जो उन्हें ऊबड़-खाबड़ इलाकों के लिए आदर्श बनाती है।
- उनका कम RPM डिजाइन शोर को कम करता है, जिससे संवेदनशील मिशनों के दौरान बेहतर स्टेल्थ सुनिश्चित होता है।

आईआईटी ने अनलक्ष्य मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम (MSCS) लॉन्च किया

- आईआईटी-कानपुर ने अनलक्ष्य मेटामटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम (MSCS) का अनावरण किया है, जो स्टील्थ तकनीक में एक महत्वपूर्ण सफलता है।
- आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित, यह अत्याधुनिक प्रणाली व्यापक स्पेक्ट्रम में लगभग पूर्ण तरंग अवशोषण प्रदान करती है, जो रडार अदृश्यता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।
- यह तकनीक SAR इमेजिंग प्रतिरोध में सुधार करती है और रडार-निर्देशित मिसाइलों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है।

अनलक्ष्य MSCS के बारे में:

- अनलक्ष्य MSCS एक कपड़ा-आधारित ब्रॉडबैंड मेटामटेरियल माइक्रोवेव अवशोषक है, जिसे स्टील्थ क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति बनाता है।
- रडार पहचान विधियों, विशेष रूप से सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर) का मुकाबला करके, यह सैन्य संपत्तियों की रडार अदृश्यता में पर्याप्त सुधार प्रदान करता है, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग है।

नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें स्थान पर पहुंचा

- भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024 में 11 पायदान चढ़कर 49वां स्थान हासिल किया है, जो 2023 में 60वें स्थान पर था।
- नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) चार स्तंभों: प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और प्रभाव के आधार पर 133 अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन करता है। इसे वाशिंगटन डीसी स्थित एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है।
- AI वैज्ञानिक प्रकाशनों, AI प्रतिभा संकेन्द्रण और ICT सेवाओं के निर्यात में भारत पहले स्थान पर है। यह FTTH/बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक में भी दूसरे स्थान पर है। इसके अतिरिक्त, भारत घरेलू बाजार पैमाने में तीसरे और दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश में चौथे स्थान पर है।
- डिजिटल इंडिया पहल ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने, टेली घनत्व को 75.2% से बढ़ाकर 84.69% करने और इंटरनेट ग्राहकों की संख्या को 25.1 करोड़ से बढ़ाकर 94.4 करोड़ करने में सहायक रही है।
- भारत ने 2022 में 5G सेवाएं शुरू करने के बाद अपनी वैश्विक मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड रैंकिंग को 118वें स्थान से सुधार कर 15वें स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत का भारत 6G विजन का लक्ष्य इसे भविष्य की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाना है, जो भारत की चल रही डिजिटल प्रगति और नवाचार को दर्शाता है।